भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †1293
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड

†1293. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गांवों का सर्वेक्षण और गांवों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र (स्वामित्व) योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जाने के बावजूद, हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों और आदिवासियों को इसके लाभों से बाहर रखे जाने के क्या कारण है;

(ख) समाज के सभी वर्गों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वामित्व योजना आर्थिक सशक्तीकरण का वादा करती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद अभी भी जारी हैं और इन चल रहे मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में क्या बिशिष्ट कार्रवाई की जा रही है, जहां योजना का प्रभाव सीमित है;

(घ) क्या सरकार का दावा है कि स्वामित्व योजना से आर्थिक गतिविधियों में 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रवाह करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में और भूमि डिजिटलीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के बारे में चिंताओं के मद्देनजर, किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि ये लाभ समान रूप से वितरित किए जाएं; और

(च) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान तथा भ्रष्टाचार मुक्त योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क), (ख) & (ग): माननीय प्रधानमंत्री ने 18 जनवरी, 2025 को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 52,000 से अधिक गांवों में 65.89 लाख संपत्ति कार्डों के ई-वितरण का निरीक्षण किया है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार करना है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक आवासीय संपत्ति खंड को कवर करना है, जिसमें समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के स्वामित्व वाली संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों को उनके स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति दस्तावेज प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इससे जरिए संस्थागत ऋण तक की पहुंच के साथ-साथ सटीक सीमांकन और औपचारिक स्वामित्व दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति से संबंधित विवाद का समाधान भी आसान हो गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मानचित्रों और संपत्ति कार्डों को अंतिम रूप देने हेतु अपने राजस्व या पंचायत राज अधिनियमों के तहत विशिष्ट अधिनियम/नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों में एक आपत्ति अवधि शामिल है, जो संपत्ति मालिकों को अंतिम संपत्ति कार्ड तैयार होने से पहले दावे या आपत्तियां उठाने की अनुमति देती है। यह प्रक्रिया सटीक भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करती है और संभावित विसंगतियों या विवादों को दूर करती है। समाज के सभी वर्गों के आवासीय संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं, हालांकि इस मंत्रालय द्वारा सामाजिक समूहवार रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते हैं।

(घ): स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति के मुद्रीकरण को सुविधाजनक बनाना है ताकि बैंक ऋण आसानी से प्राप्त किया जा सके। इस योजना ने उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके 3.17 लाख से अधिक गांवों का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है, जिसमें 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आवासीय भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित मूल्य 132 लाख करोड़ रुपये है।

(ङ) & (च): इस योजना में पारदर्शी और सुपरिभाषित प्रक्रियाएं हैं। योजना में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने मानचित्रों को अंतिम रूप देने और संपत्ति कार्ड तैयार करने के लिए संबंधित राज्य अधिनियमों/नियमों में विशिष्ट धाराएं प्रदान की हैं। इन प्रावधानों में आपत्ति अवधि के साथ जांच प्रक्रिया शामिल है, जिससे संपत्ति मालिकों को अंतिम संपत्ति कार्ड तैयार होने से पहले दावे या आपत्तियां उठाने की अनुमति मिलती है। यह प्रक्रिया सटीक भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करती है और संभावित विसंगतियों या विवादों को दूर करती है। इसके अलावा, समाज के सभी वर्गों से आने वाले गांवों (आबादी) क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक इस योजना के इच्छित लाभों के संभावित लाभार्थी हैं, जिसमें कानूनी रूप से समर्थित संपत्ति दस्तावेज, उनकी आवासीय संपत्ति का सटीक सीमांकन, संपत्ति से संबंधित विवादों का समाधान या संपत्ति कार्ड के आधार पर संस्थागत ऋण तक पहुंच शामिल है।

***